

फाईल सं : ई-11012/1/2022-डीओएफ

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
राजभाषा अनुभाग

चंद्रलोक बिल्डिंग, प्रथम तल,
36 जनपथ, नई दिल्ली
दिनांक: 04/10/2022
11/10/2022

कार्यालय जापन

विषय: राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) का कार्यान्वयन

राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग)के अंतर्गत निहित है कि केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय / विभाग अथवा कार्यालय में हिन्दी भाषा में प्राप्त होने वाले पत्रों का आनिवार्य रूप से हिन्दी में ही उत्तर दिया जाना है। इस नियम के ध्यानार्थ मत्स्यपालन विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि हिन्दी में प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर हिन्दी में अथवा द्विभाषी (हिन्दी/अंग्रेजी दोनों में) में दिया जाए। हिन्दी भाषा में प्राप्त पत्र का उत्तर केवल अंग्रेजी में प्रेषित न हो। यदि हिन्दी में उत्तर फ्रेम करने में कठिनाई की स्थिति उत्पन्न होती है तो मत्स्यपालन विभाग के राजभाषा अनुभाग की सहायता ली जा सकती है।



(सागर मेहरा)

संयुक्त सचिव (प्रशा)

सेवा में

- मत्स्यपालन विभाग के सभी अनुभाग / अधिकारी / कर्मी
- सभी के संज्ञान के लिए ई - ऑफिस सूचना पट्ट पर जारी